

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) / (नि.प.629 / 88) / अलेसे-गा/३५४५-३५५। दिनांक:- २६/५/२०१४

कार्यालय आदेश

श्री मघानाथ, (629 / 88) की कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 31.12.1990 है। श्री मघानाथ ने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व समान वेतनमान में तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर दिनांक 06.04.1990 को कार्यग्रहण किया है एवं इनकी सेवायें नियमित रही हैं। अतः श्री मघानाथ को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम) / 2008 / दिनांक 12.9.2008, आदेश संख्या एफ 11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I / 2008 दिनांक 6.10.2008 एवं राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.डी./रॉल्स / 2008-I / 2008 दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 7(11) के अनुसरण में समान वेतनमान में की गई सेवा को जोड़कर तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण तिथि दिनांक 06.04.1990 से 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 06.04.2012 (चार वेतन वृद्धियों संचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण 04 वर्ष पश्चात) से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) वेतन शृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत किया जाता है।

श्री मघानाथ को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत किया जाता है। श्री मघानाथ के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत नौ वर्षों में से सात वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री मघानाथ का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) / (नि.प.629 / 88) / अलेसे-गा/३५४५-३५५। दिनांक:- २६/५/२०१४
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, सार्दुलगंज, बीकानेर।
2. श्री मघानाथ, क.लेखाकार, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, बीकानेर।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
4. उपनिदेशक(एसीपी) विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी / गार्ड फाईल।

(डॉ० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-गा)

acp.doc

कमरा नम्बर 310, "ए" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर 302015 (फैक्स नं. 0141-2742309)